

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

दिनांक 23 मार्च, 2022 को आयोजित प्रबंध मण्डल की बैठक का कार्यवाही विवरण

दिनांक 23 मार्च, 2022 को पूर्वान्ह 11:15 बजे प्रबंध मण्डल की 101वीं (आपात) बैठक क्षेत्रीय केन्द्र, जयपुर पर आनलाईन/ऑफलाइन आयोजित की गई। प्रो० रत्नलाल गोदारा, माननीय कुलपति, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में निम्न सदस्यगण उपस्थित थे।

- | | | |
|---|---|---------------------------|
| 1. प्रो० रत्नलाल गोदारा,
कुलपति, वमखुविवि, कोटा | — | अध्यक्ष |
| 2. प्रो० सतोष कुमार शील
देहरादून (कुलाधिपति द्वारा नामित) | — | सदस्य |
| 3. श्री टी० मुरलीधरन
हैदराबाद (कुलाधिपति द्वारा नामित) | — | सदस्य
(ऑनलाईन उपस्थित) |
| 4. प्रो० सी०बी० शर्मा
नई दिल्ली (ई०ग००रा०मु०वि द्वारा नामित) | — | सदस्य
(ऑनलाईन उपस्थित) |
| 5. श्री अनुराग भार्गव, प्रतिनिधि,
संभागीय आयुक्त, कोटा
(प्रतिनिधि, शासन सचिव (वित्त)) | — | सदस्य
(ऑनलाईन उपस्थित) |
| 6. डॉ० फिरोज अख्तर
संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा
प्रतिनिधि, शासन सचिव (उच्च शिक्षा) | — | सदस्य
(ऑनलाईन उपस्थित) |
| 7. प्रो० अशोक शर्मा
आचार्य, राजनीति विज्ञान वमखुविवि, कोटा | — | सदस्य |
| 8. प्रो० बी० अरुण कुमार
निदेशक, क्षेत्रीय सेवायें वमखुविवि, कोटा | — | सदस्य |

9. डॉ० जे०के० शर्मा
निदेशक, क्षे०के०, वमखुविवि, जयपुर

सदस्य

10. श्री महेश चंद मीणा
कार्यवाहक कुलसचिव, वमखुविवि, कोटा

सचिव

सर्वप्रथम माननीय कुलपति महोदय ने बैठक में ऑफलाईन/ऑनलाईन रूप से उपस्थित समस्त सदस्यों का स्वागत किया। साथ ही बैठक आयोजन हेतु प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से जिन अधिकारियों, कार्मिकों एवं तकनीकी स्टाफ का सहयोग प्राप्त हुआ है, उन सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद प्रेषित किया।

तत्पश्चात् बैठक हेतु आवश्यक गणापूर्ति सुनिश्चित करने के बाद माननीय कुलपति महोदय की अनुमति से कुलसचिव ने सदन के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

प्रस्ताव संख्या 101 / 01— वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा के अधिनियम 1987(यथासंशोधित) की धारा 8(3) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के नए कुलपति के नाम की अनुशंसा हेतु गठित किये जाने वाली खोजबीन समिति(Search Committee) में प्रबंध मण्डल द्वारा सदस्य का मनोनयन:—

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा के अधिनियम 1987 (यथासंशोधित) की धारा 8(3) के अन्तर्गत नए कुलपति महोदय के लिए एक खोजबीन समिति(Search Committee) का गठन किया जाना अपेक्षित है। अधिनियम 1987 की धारा 8(3) (अ)के तहत उक्त खोजबीन समिति(Search Committee) में एक सदस्य विश्वविद्यालय प्रबंध मण्डल द्वारा मनोनीत किया जाना है। इस बाबत् राजभवन से भी पत्र दिनांक 09.02.2022 से निर्देश प्राप्त हुआ है।

अतः अधिनियम में विहित प्रावधान के अनुसार खोजबीन समिति(Search Committee) हेतु सदस्य मनोनयन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। नए कुलपति की नियुक्ति हेतु खोजबीन समिति में प्रबंध मण्डल द्वारा सदस्य का मनोनयन किया गया। तदुपरांत सदस्य का नाम, पद, पता, फोन नंबर, फैक्स नंबर एवं ई-मेल आदि की सूचना लिफाफे में सील बन्द कर राजभवन को प्रेषित करने के निर्देश कुलसचिव को दिया गया।

अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

(महेश चंद मीणा)
कार्यवाहक कुलसचिव एवं
सचिव, प्रबंध मण्डल